UPSI010036662026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, सीतापुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–666/2026

सी.आई.एस. नं.– 1589/2026

अनीस पुत्र समशुद्दीन निवासी मुसियाना थाना लहरपुर जिला सीतापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजक।

अपराध संख्या–162/2026
धारा–309(4),317(2) B.N.S.
थाना–लहरपुर, जिला– सीतापुर।

निस्तारण प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त अनीस की तरफ से अपराध संख्या 162/2026 अंतर्गत धारा 309(4),317(2) B.N.S., थाना लहरपुर, जिला सीतापुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से लुकमान का शपथ पत्र दाखिल कर यह कथन किया गया है कि शपथकर्ता अभियुक्त का भाई है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अतिरिक्त न ही सत्र न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में दिया गया है और न ही निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा संजय यादव द्वारा, थाना लहरपुर में, मुख्य रूप से, इस आशय का प्रार्थना–पत्र दिया गया कि वह दिनांक 19.05.2026 को अपनी रिश्तेदारी ग्राम सरैंया जनपद लखीमपुर खीरी से अपने घर वापस आ रहा था कि जब वह अपनी मोटर साइकिल से ग्राम सोंसरी थाना लहरपुर जनपद सीतापुर के आम के बाग के पास पहुँचा, उसकी मोटर साइकिल पर वह, उसकी बहन सरिता देवी व पीछे उसकी पत्नी सुनीता यादव बैठी थी, कि समय सायं करीब 06.30 बजे, पीछे से मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति उसकी मोटर साइकिल के समीप आकर, चलती मोटर साइकिल पर ही पीछे बैठी उसकी पत्नी सुनीता यादव के कान के झाले, झपट्टा मारकर, नोंच ले गये।

4– वादी मुकदमा के उक्त प्रार्थना–पत्र के आधार पर थाना लहरपुर में, अज्ञात के विरूद्ध, मु०अ०सं० 162/2026, धारा 304(2) बी०एन०एस० में, अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
सीतापुर।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को झूँठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कथित बरामदगी फर्जी व असत्य है। प्रार्थी/अभियुक्त को घर से पकड़कर थाने से फर्जी बरामदगी दिखाकर जेल भेजा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

7– मैंने दोनों पक्षों को सुना तथा अपराध संख्या 162/2026 की केस डायरी व अन्य संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8– केस डायरी के पर्चा संख्या–02 दिनांकित 20.05.2026 में, विवेचक द्वारा, उपरोक्त मामले में, धारा 304(2) बी.एन.एस. को धारा 309(4) बी.एन.एस. में तरमीम किया जाना अंकित है।

9– केस डायरी के पर्चा संख्या–03 दिनांकित 21.05.2026 के अनुसार, पुलिस के द्वारा, मुखबिर की सूचना पर, नहर पटरी निबौरी मोड के पास से दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। जिन्होंने अपना नाम शिवम कुमार पुत्र कृष्ण कुमार एवं **अनीस पुत्र समशुद्दीन** बताया। इसी पर्चे में अभियुक्त अनीस की गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर एवं एक अदद झाला (पीली धातु) बरामद होना एवं विवेचक द्वारा मामले में धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि किया जाना भी अंकित है।

10– अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी दिया गया कि मामले की एफ.आई.आर. अज्ञात के विरुद्ध लिखायी गयी थी। अभियुक्त के पास से कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बताया गया है। केस डायरी के अनुसार मात्र अभियुक्त को, एक मोटर साइकिल को रोककर पीछे बैठी महिला से लूट किये जाने के जुर्म इकबाल के आधार पर, मामले में अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से जेल में निरुद्ध चल रहा है।

11– अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अनीस का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपराध संख्या 162/2026 अंतर्गत धारा 309(4),317(2) B.N.S., थाना लहरपुर, जिला सीतापुर में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/– रूपये (पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्न शर्तो के अधीन, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर, उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
सीतापुर।

1. प्रार्थी/अभियुक्त, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त, अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं बनायेगा तथा मुकदमे के परीक्षण में पूर्ण सहयोग करेगा।
3. जब तक कि प्रार्थी/अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ न किया जाये, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
4. इस दौरान प्रार्थी/अभियुक्त किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

दिनांक–16.06.2026

प्रभारी
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1
सीतापुर।

प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01,
सीतापुर।

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.06.16 17:06:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur